



CBDT ने 95 अग्रमि मूल्य नरिधारण समझौतों पर हस्ताक्षर कयि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) ने भारतीय करदाताओं के साथ वत्ति वर्ष 2022-23 में रकिर्ड 95 अग्रमि मूल्य नरिधारण समझौते (APAs) कयि हैं।

- इसमें 63 APA (UAPA) और 32 द्वपिक्षीय APA (BAPA) शामिल हैं।
 - यह कसिी एक वत्तीय वर्ष में CBDT द्वारा अब तक कयि गए सर्वाधिक BAPA हैं।
- भारत के संधिभागीदारों फनिलैंड, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, डेनमार्क, सगिापुर और जापान के साथ आपसी समझौतों के बाद BAPAs पर हस्ताक्षर कयि गए।

अग्रमि मूल्य नरिधारण समझौते (APA):

- परचिय:
 - भारत में अग्रमि मूल्य नरिधारण समझौते (APA) कार्यक्रम को वर्ष 2012 में वत्ति अधनियिम, 2012 के माध्यम से आयकर अधनियिम, 1961 में धारा 92CC एवं 92CD को सम्मलिति करके शुरू कयि गया था।
 - APA भवषिय के वर्षों के लयि करदाता के अंतर्राष्ट्रीय वनियिम के मूल्य नरिधारण के लयि हस्तांतरण मूल्य नरिधारण पद्धतिका नरिधारण करने वाले करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है।
 - एक बार APA मुहरबंद हो जाने के बाद, कुछ नयिमों और शर्तों की पूरत के आधार पर कार्यप्रणाली को एक नश्चिति अवधि के लयि कार्यान्वति कयि जाना है।
- प्रकार:
 - APA एकतरफा, द्वपिक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है।
 - एकपक्षीय APA: एक APA जसिमें केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहाँ करदाता स्थति होता है।
 - द्वपिक्षीय APA (BAPA): एक APA जसिमें करदाता, वदिश में करदाता का संबद्ध उद्यम (AE), उस देश का कर प्राधिकरण जहाँ करदाता स्थति है और वदिशी कर प्राधिकरण शामिल है।
 - बहुपक्षीय APA (MAPA): एक APA जसिमें करदाता, वभिन्न वदिशी देशों में करदाता के दो या दो से अधिक AE, उस देश के कर प्राधिकरण जहाँ करदाता स्थति है और AE के कर प्राधिकरण शामिल हैं।
- महत्त्व:
 - APA कार्यक्रम का व्यापार करने में सुलभता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मशिन में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
 - यह कार्यक्रम का वशिष लाभ सीमा पार लेनदेन में होता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(Central Board of Direct Taxes- CBDT)

- यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधनियिम, 1963 के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- यह वत्ति मंत्रालय में राजस्व वभिग का एक अंग है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीत और योजना के लयि इनपुट प्रदान करता है और आयकर वभिग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लयि भी उत्तरदायी है।
- प्रत्यक्ष करों के अंतरगत आयकर, नगिम कर आदि शामिल हैं।

सरोत: पी.आई.बी

